न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 27/2022 – निगरानी

1. नारायण गुर्जर गोदपुत्र जग्गु गुर्जर प्राकृतिक पिता तुलछा गुर्जर निवासी करणगढ तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत तिलोली, पंचायत समिति आसींद, तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती सायरी देवी पत्नि रायमल गुर्जर निवासी करणगढ तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती चान्दी पुत्री जग्गु गुर्जर पत्नि त्रिलोक गुर्जर निवासी करणगढ हाल निवासी जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा
4. श्रीमती नेनी पुत्री जग्गु गुर्जर पत्नि लक्ष्मण गुर्जर हाल निवासी अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. लक्ष्मण गुर्जर आत्मज गोपी लाल गुर्जर निवासी करणगढ तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा
6. चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी दौलतगढ, पुलिस थाना आसींद जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत तिलोली तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा द्वारा जारी पट्टा क० 6 बुक संख्या 272 दिनांक 17.02.2013

उपस्थित –

1. श्री शिवसिंह चारण अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री राकेश जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 02 से 05 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगरानी मेमों में प्रस्तुत सजरा अनुसार जग्गु गुर्जर (फौत) परिवार के मुख्य पुरूष थे जिनकी दो पुत्रीयां नेनी व चांदी एवं 1 पुत्र रायमल का जन्म हुआ। गैर निगराकार 2 रायमल की पत्नि है। रायमल के लाऔलाद फौत हो जाने से उसके पिता जग्गु जी ने निगराकार को गोद रखा। निगराकार इस प्रकार से जग्गु जी का गौदपुत्र होकर सजरे अनुसार उनकी सम्पतियों में उत्तराधिकारी है। रायमल की 40 वर्ष पूर्व सडक हादसे मे

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निधन हो जाने के बाद निगराकार को सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार जग्गु जी ने गौद रखा। तभी से निगराकार जग्गु जी के पास रहकर उनकी सेवा चाकरी करता रहा। चूंकि लिखित गोदनामा नहीं होने से गोद रखे जाने के करीब 20 वर्ष बाद दिनांक 26.07.2000 को जग्गु जी ने समाज के मौतबीरान के समक्ष उनके द्वारा निगराकार को गोद रखे जाने के तथ्य की पुष्टि के लिए गोदनामा को लिखतम रूप दिया गया। निगराकारान् एवं गैर निगराकार संख्या 02 लगायत 04 की पैतृक आवासीय जायदाद जो कि वाके ग्राम करणगढ, ग्राम पंचायत तिलोली, पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाड़ा राजस्थान मे स्थित है। उक्त आवासीय जायदाद निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 02 लगायत 04 की पैतृक जायदाद है जो कि तकरीबन 60–65 वर्ष पुराना होकर उक्त जायदाद पर निगराकार के पूर्वज जग्गु जी काबिज होकर उपयोग उपभोग करते थे जो कि निगराकार को उसके गोद पिता जग्गु जी से विरासत में प्राप्त हुई है। इसी दरमियान दिनांक 10.07.2020 को गैर निगराकार लक्ष्मण गुर्जर निगराकार की उक्त जायदाद में आकर अनाधिकृत तौर पर प्रवेश होकर जबरन निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास किया। जिस पर निगराकार ने टोका तो गैर निगराकार लक्ष्मण ने धमकाया कि उसने गैर निगराकार सायरी जो कि निगराकार की भाभी है, के साथ मिलीभगत करके निगराकार के हक हिस्से को हड़प करने के आशय से सचिव सरपंच के साथ मिलीभगत करके निगरानी याचिका की चरण संख्या 04 मे वर्णित सम्पूर्ण जायदाद का पट्टा केवल मात्र गैर निगराकार संख्या 02 सायरी के नाम पर जारी करवा लिया। जिसमे उसने स्वंय साक्ष्य दी एवं इसके बाद नुमाईशी बिकाव गैर निगराकार संख्या 02 सायरी द्वारा गैर निगराकार लक्ष्मण के नाम पर रजिस्ट्री करवा दिया। उक्त वर्णित आवासीय जायदाद जो कि स्व.श्री जग्गु जी से निगराकार एवं निगराकार संख्या 03 लगायत 04 एवं गैर निगराकार संख्या 02 को विरासत में प्राप्त हुई है और निगराकारान् को विरासत में मिली है और विधिनुसार जब कोई जायदाद विरासत से एकाधिक वारिसान को विरासत मे प्राप्त होती है और कानूनन ऐसी जायदाद का अन्य वारिसान को नजरअन्दाज कर अन्य वारिसान के हक व अधिकार की जायदाद का केवल मात्र एक वारिस के नाम पर पट्टा जारी नही किया जा सकता है। उक्त जायदाद का आज दिनांक तक बंटवारा नही हुआ है और बिना बंटवारा हुए एक वारिस के नाम पर प्रथम तो पट्टा जारी ही नही किया जा सकता है और द्वितीय यदि कानून की अवहेलना करते हुए यदि कोई पट्टा जारी भी किया गया तो केवल उसके हक अधिकार तक का ही

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जारी किया जाना चाहिये था, सम्पूर्ण जायदाद का नही। ग्राम पंचायत तिलोली द्वारा उक्त पट्टा पंचायती राज अधिनियम के नियमो की अवहेलना करते हुए न्याय एवं साम्य, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित गैर निगराकार संख्या 02 के साथ मिलीभगत करते हुए जारी किया गया है, विधि विरूद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है। निगराकारान् ने प्रमाणित प्रतिलिपी हेतु आवेदन कर दिनांक 21.07.2020 को प्रमाणित प्रतिलिपीया प्राप्त की। जिस पर उक्त आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई और जानकारी होते ही यह आवेदनपत्र अविलम्ब पेश है किन्तु आवेश की दिनांक से आवेदनपत्र पेश करने में हुई देरी को कण्ड़ौन फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः निवेदन है कि निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाया जाकर गैर निगराकार संख्या 02 के नाम पर जारी पट्टा क्रमांक 06 दिनांक 17.02.2013, बुक संख्या 272 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश पारित फरमायें।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 02 से 05 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगराकारान् एवं गैर निगराकार संख्या 02 लगायत 04 की पैतृक आवासीय जायदाद जो कि वाके ग्राम करणगढ, ग्राम पंचायत तिलोली, पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाड़ा राजस्थान मे स्थित है। उक्त पड़ौसान के मध्य स्थित आवासीय जायदाद निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 02 लगायत 04 की पैतृक जायदाद है जो कि तकरीबन 60–65 वर्ष पुराना होकर उक्त जायदाद पर निगराकार के पूर्वज जग्गु जी काबिज होकर उपयोग उपभोग करते थे जो कि निगराकार को उसके गोदपिता जग्गु जी से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त आवासीय जायदाद में निगराकार का उपरोक्त सजरे के अनुसार हक व हिस्सा निहित है तदानुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विधिनुसार जब कोई जायदाद विरासत से एकाधिक वारिसान को विरासत मे प्राप्त होती है और कानूनन ऐसी जायदाद का अन्य वारिसान को नजरअन्दाज कर अन्य वारिसान के हक व अधिकार की जायदाद का केवल मात्र एक वारिस के नाम पर पट्टा जारी नही किया जा सकता है। उक्त जायदाद का आज दिनांक तक बंटवारा नही हुआ है और बिना बंटवारा हुए एक वारिस के नाम पर प्रथम तो पट्टा जारी ही नही किया जा सकता है और द्वितीय यदि कानून की अवहेलना करते

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हुए यदि कोई पट्टा जारी भी किया गया तो केवल उसके हक अधिकार तक का ही जारी किया जाना चाहिये था, सम्पूर्ण जायदाद का नही। ग्राम पंचायत तिलोली द्वारा उक्त पट्टा पंचायती राज अधिनियम के नियमो की अवहेलना करते हुए न्याय एवं साम्य, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित गैर निगराकार संख्या 02 के साथ मिलीभगत करते हुए जारी किया गया है, विधि विरूद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाया जाकर गैर निगराकार संख्या 02 के नाम पर जारी पट्टा क्रमांक 06 दिनांक 17.02.2013, बुक संख्या 272 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश पारित फरमायें।

विपक्षी संख्या 02 से 05 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि जो पट्टा जारी किया गया है, जो सही है। नारायण जग्गु जी का गोदपुत्र नही है व न ही कभी कोई गोद लिया है। जग्गु जी द्वारा दिंनाक 26/07/2000 को नारायण को गोद नहीं लिया है व न ही कोई गोदनामा लिखा है, तथाकथित गोदनामा फर्जी एवं कूटरचित है। गैर निगराकार संख्या 2 को जायज जरूरत हेतु उक्त जायदाद गैर निगराकार संख्या 05 को सप्रतिफल विक्रय कर विक्रयपत्र पंजीयन कराया गया व मौके पर कब्जा केता को सिपुर्द किया गया, जिस पर केता गैर निगराकार संख्या 05 बहैसियत मालिक काबिज है। ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया जो पंचायत राज नियमो की पालना करते हुए सही तौर पर पट्टा जारी किया गया है। जिसे किसी प्रकार से निरस्त कराने का अधिकारी नही है। निगराकार का उक्त जायदाद मे कोई हक स्वत्व नहीं है व न ही निगराकार का कब्जा है, बल्कि गैर निगराकार संख्या 05 सद्भाविक केता होकर मालिक काबिज है। उक्त जायदाद का गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में गैर निगराकार संख्या 01 एक द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर सभी पंचायत राज नियमो की पालना करते हुए ग्राम पंचायत मे कोरम में प्रस्ताव पारित कर विधिवत पट्टा जारी किया गया व साथ ही पट्टे की रजिस्ट्री भी करवायी गयी है व साथ ही गैर निगराकार सख्या 02 को जायज जरूरत हेतु उक्त जायदाद को दिनांक 10/12/2019 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया गया, जिस पर गैर निगराकार सख्या 05 क्रय की दिनांक से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा खारीज नही किया गया है। निगरानी मियाद बाहर होने से खारीज होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी सारहीन व असत्य तथ्यो पर आधारित होने से

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

खारीज किया जावे। गैर निगराकार के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त (2021) 1 डीएनजे 186 राजस्थान हाई कोर्ट गोपाल पटेल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य पेश किये।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत पटटा ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के नाम पर पंजीयन कराया गया उसके पश्चात गैर निगराकार संख्या 02 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त जायदाद गैर निगराकार संख्या 05 के नाम विक्रय कर दिया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने बाबत् क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। अतः उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत तिलोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.12.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा